

पत्र संख्या-1/एल -68/93 का०-3098

बिहार सरकार,  
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री अ० कु० बसाक,  
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव, बिहार, पटना ।  
सभी अपर आयुक्त, बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक 22 मार्च, 1994

विषय :- उपार्जित एवं अन्य अवकाश की स्वीकृति के पूर्व विभागीय मंत्री की अनुशंसा प्राप्त करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि उपार्जित एवं अन्य अवकाश की स्वीकृति हेतु विभागीय मंत्री की अनुशंसा अपेक्षित है ।

2. अतः अनुरोध है कि उपार्जित या अन्य अवकाश की स्वीकृति हेतु अपने विभागीय मंत्री की अनुशंसा प्राप्त कर ही अपना आवेदन पत्र देने का कष्ट करेंगे, अन्यथा इसकी स्वीकृति देना सम्भव नहीं होगा ।

3. कृपया इसे अमल में लाया जाय ।

निश्वासभाजन,

ह०/-अ० कु० बसाक,

मुख्य सचिव, बिहार ।